रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D(D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 1983/वैशाख 12, 1905
No. 207] NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 1983/VAISAKHA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 1983

का०आ० 349(अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/83.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 695 (अ)/18कक/आई०डी०आर० ए०/72, तारीख 3 नवम्बर, 1972 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रबन्ध ग्रहण आदेश कहा गया है) भारत के औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता को, मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का 2 नवम्बर, 1977 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन था, भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं० का०आ० 713(अ) तारीख 1 नवम्बर, 1977, का०आ० 630(अ) तारीख 2 नवम्बर, 1979, का० आ० 873(अ), तारीख 1 नवम्बर, 1980, का०आ० 331(अ), तारीख 2 मई, 1981, का०आ० 784(अ) तारीख 2 नवम्बर, 1981, का०आ० 293(अ) तारीख 1 मई, 1982 और का०आ० 772 (अ), तारीख 2 नवम्बर, 1982 द्वारा प्रबंध ग्रहण आदेश की अवधि 2 मई, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि प्रबंध ग्रहण आदेश 2 नवम्बर, 1983 तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि प्रबंध ग्रहण आदेश 2 नवम्बर, 1983 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा और यह भी निदेश देती है कि उक्त उपक्रम का प्रबंध इस आदेश के पैरा 2 में निर्दिष्ट प्रबंध बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) प्रबंध बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का पालन करेगा ;

(2) बोर्ड 2 नवंबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पद धारण करेगा ;

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है तो उक्त प्रबंध बोर्ड या उसके किसी सदस्य को नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए 2 नवम्बर, 1983 से पूर्व समाप्त कर सकती है।

2. प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात्

अध्यक्ष एवं मुख्य अधिशासक

1. श्री एन०एम० मेहट्टि, गणेश फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड सब्जी-मंडी, दिल्ली।

सदस्य

2. मुख्य निदेशक, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली

3. लेखा नियंत्रक, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

4. सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग लखनऊ

5. सचिव, पंजाब सरकार खाद्य और पूर्ति विभाग, चण्डीगढ़

6. ग्रुप अधिशासक (खाद्य तेल) भारतीय राज्य व्यापार निगम, लिमिटेड, चन्द्रलोक, 36 जनपथ, नई दिल्ली

7. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली, और

8. उप मुख्य अधिशासक, गणेश फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड, सब्जी-मण्डी, दिल्ली।

[फा०सं० 4(6)/80-सी०यू०एस०]
ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 1983

S.O. 349(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S. O. 695(E)/18AA/IDRA/72 dated the 3rd November, 1972 (hereinafter referred to as the taking over of management order), the Central Government had, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951) authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta to take over the management of the Industrial Undertaking, known as Messrs Ganesh Flour Mills Company Limited, Delhi (hereinafter referred to as the said undertaking) for a period of five years upto and inclusive of the 2nd day of November, 1977.

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Department of Industrial Development Nos. S.O. 743(E), dated the 1st November, 1977, S.O. 630(E), dated the 2nd November, 1979, S.O. 873(E), dated the 1st November, 1980, S.O. 331(E), dated the 2nd May, 1981, S.O. 784(E), dated 2nd November, 1981, S.O. 293(E), dated the 1st May, 1982 and S.O. 772(E), dated 2nd November, 1982 the Central Government being of the opinion that it was expedient in the public interest, had extended the period of the taking over of management order upto and inclusive of the 2nd May, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient, in the public interest, that the taking over of management order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 2nd November, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby directs that the taking over of management order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 2nd November, 1983 and that the said undertaking shall be managed by the Board of Management referred to in paragraph 2 of this order subject to the following terms and conditions :—

(i) the Board of Management shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the Board shall hold office upto and inclusive of the 2nd November, 1983;

(iii) the Central Government may terminate, without assigning any reason, the appointment of the said Board of Management or any member thereof, earlier than the 2nd day of November, 1983, if the Central Government considers necessary so to do.

2. The Board of Management shall consist of the following persons namely :—

CHAIRMAN-CUM-CHIEF EXECUTIVE

1. Shri N. M. Shetty, Ganesh Flour Mills Company Limited, Subjimandi, Delhi.

MEMBERS

2. Chief Director, Directorate of Vanasapati, Vegetable Oils & Fats, Ministry of Food and Civil Supplies, New Delhi.

3. Controller of Accounts, Ministry of Food & Civil Supplies, New Delhi.

4. Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Food and Civil Supplies Department, Lucknow.

5. Secretary to the Government of Punjab, Food & Supplies Department, Chandigarh.

6. Joint Secretary to the Government of India, Department of Industrial Development, New Delhi.

7. Group Executive (Edible Oils), State Trading Corporation of India Limited, Chandralok, 36, Janpath, New Delhi.

8. Deputy Chief Executive, Ganesh Flour Mills Company Limited, Subjimandi, Delhi

[F. No. 4(6)/80-CUS]
A. P. SARWAN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983